"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 945] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2025 — अग्रहायण 17, शक 1947

गृह विभाग
(सी–अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

FILE NO. GENCOR-25134/2025-HOME SECTION. - छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–33/गृह–सी/2013, दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 में वृद्धि करते हुए भाकपा (माओवादी) के अग्र संगठन ''चेतना नाट्य मंच (सीएनएम)'' को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए, विधि विरूद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 से एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

FILE NO. GENCOR-25134/2025-HOME SECTION. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 8–12–2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the8th December 2025

NOTIFICATION

FILE NO. GENCOR-25134/2025-HOME SECTION. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Act, 2005 (No. 14 of 2006), the State Government, hereby, extends notification No. F-4-33/Home-c/2013, dated 09 December, 2024 of this Department and declares the CPI (Maoist) Front organization "Chetna Natya Manch (CNM)" as Unlawful Organisations for a further period of one year;

This notification shall remain in force for one year in Chhattisgarh with effect from 09 December, 2025.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. CHOUHAN, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.